कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी(एस0डी0एम0) 080 राजाखेड़ा धौलपुर

दिनांकः– 14/11/23

क्रमांक / चुनाव / लेखादल / 2023 / 1131

श्री विनय सिकरवार पुत्र श्री बच्चु सिंह
बोथपुरा तहसील मंनिया जिला धौलपुर
राजनीतिक दल –इण्डियन पीपुल्स ग्रीन पार्टी
निर्वाचन क्षेत्र–राजाखेड़ा 80

स्पष्टीकरण बाबत्

श्रीमान व्यय पर्यवेक्षक के साथ दिनांक 11.11.2023 को आपके प्रत्याशी के खर्चे (EXPENDIATURE REGISTER) का कार्यालय के Shadow रजिस्टर से मिलान किया जाना था जिसकी सूचना आपको पत्रांक 37 दिनांक 08.11.2023 को जरिये वॉटसएप एवं स्पीड पोस्ट के द्वारा दी गई थी परन्तु आपके द्वारा न तो स्वयं या आपके द्वारा कोई नामित व्यक्ति मिलान के समय उपस्थित नही था। आगामी दिनांक 16.11.2023 एवं 20.11.2023 को निश्चित रूप से जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर पूर्व एवं आगामी प्रत्याशी के खर्चे का कार्यालय के छाया प्रेक्षण रजिस्टर से मिलान कराने का श्रम करें। यदि भविष्य में आपके द्वारा पुनः ऐसा किया जाता हैं तो आपके विरूद्व निर्वाचन आयोग के आदेशों की अवहेलना एवं आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के तहत दण्डनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

रिटर्निंग अधिकारी(एस0डी0एम0)
080 राजाखेड़ा धौलपुर

15.11.23

Scanned with CamScanner

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी(एस०डी०एम०) 080 राजाखेड़ा धौलपुर

दिनांक– 17/11/2023

क्र०/चुनाव/लेखादल/2023/ 1125

श्री विजय सिकरवार पुत्र श्री बच्चू सिंह
गोपीपुरा तहसील मनिया जिला धौलपुर
राजनीतिक दल –इण्डियन पीपुल्स ग्रीन पार्टी
निर्वाचन क्षेत्र–राजाखेड़ा 80

नोटिस–स्पष्टीकरण बाबत्

श्रीमान व्यय पर्यवेक्षक के साथ दिनांक 16.11.2023 को प्रत्याशी के खर्चे (EXPENDIATURE REGISTER) का कार्यालय के Shadow रजिस्टर से मिलान किया जाना था जिसकी सूचना आपको कार्यालय हाजा के पत्रांक 33 दिनांक 08.11.2023 को जरिये वॉटसएप, ईमेल एवं स्पीड पोस्ट के द्वारा दी गई थी परन्तु आपके द्वारा पुनः न तो स्वयं या आपके द्वारा कोई नामित व्यक्ति मिलान करवाने हेतु समय पर उपस्थित नही था। पूर्व में भी आपको 11.11.2023 को खर्चे का मिलान करवाने में अनुपस्थित रहने के कारण पत्रांक 1110 दिनांक 14.11.2023 द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया जा चुका है जिसका आपके द्वारा आदिनांक तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नही किया है। अतः पुनः जरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि आगामी मिलान दिनांक 20.11.2023 को श्रीमान व्यय पर्यवेक्षक महोदय के समक्ष खर्चे का तृतीय मिलान किया जाना है जिसमें आप या आपके द्वारा नामित व्यक्ति EXPENDIATURE REGISTER का छाया प्रेषण रजिस्टर के साथ मिलान करवाने हेतु आवश्यक रूप से उपस्थित रहें। यदि आप मिलान के समय पुनः अनुपस्थित पाये जाते है तो बिना किसी ठोस कारण या औचित्यसम्मतता के विधि द्वारा अपेक्षित रीति से समय सीमा के अंदर निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहने पर,संबंधित अभ्यर्थी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 क के अधीन निरर्हित घोषित किया जा सकता है।

पत्र को गंभीरता से लिया जावें।

नोटिस तामील जरिये तहसीलदार ~~राजाखेड़ा~~ मनिया)

रिटर्निंग अधिकारी(एस०डी०एम०)
080 राजाखेड़ा धौलपुर

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with CamScanner